

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ कालम 07 में अंकित दिनांक से समाप्त की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान राउमावि/रावाउमावि	विषय	मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या	जन्मतिथि	निधन का दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	विष्णु सिंह, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर	याणिज्य	08110015000001208685	25.04.1988	21.07.2021	21.07.2021

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक:-

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)  
आईएस  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्यमिक संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/2021

दिनांक:- 07/10/21

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 02 संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- 03 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 04 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 05 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्ता
- 06 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
- 07 संबंधित शाला/संस्था प्रधान, को पार्यट किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवाए।
- 08 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/शाला दर्पण/हितकारी निधि अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 09 निजी / रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक(कार्मिक))  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर